कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

फोन नं. नम्बर - 0141-5110694 ई-मेल :- dcudtjmc@gmail.com

क्रमांकः– एफ–6 ( ) उपा.राज.(प्रथम)/ ननिज/2018/266 दिनांकः– 9/2/2018

पशु हटवाड़ा ई–निविदा विज्ञप्ति सं. 1/18

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा पशु हटवाडा जो सूगली नदी, रामगढ़ रोड़, जयपुर क्षेत्र में खसरा नं. 8061/9255 तथा 8061/9256 को छोड़ते हुए लगाया जाता है, का वर्ष 2018–19 में ठेका स्वीकृति तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए ई– निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

1	न्यूनतम बोली राशि	5,14,50,000/– रूपये
2	निविदा भागीदारी शुल्क	5,000/– रूपये (ऑनलाईन)
3	अमानता राशि	10,00,000/– रूपये (ऑनलाईन)
4	अमानता एवं भागीदारी शुल्क जमा कराने की दिनांक	11.02.2018 से 13.03.2018 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक
5	बोली प्रारम्भ करने की दिनांक	14.03.2018 को प्रातः 11.00 बजे से
6	बोली समाप्ति की तिथि	दिनांक 15.03.2018 को सायं 2.00 बजे तक।

इच्छुक निविदा दाता ई–नीलामी में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन शुल्क 1,000/– रूपये जमा करवाकर पंजीयन करवा सकते है।

1. निविदा की शर्तों का अवलोकन ऑनलाईन या किसी भी कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में किया जा सकता हैं।
2. ईच्छुक निविदादाता/बोलीदाता निविदा कार्यक्रम में अमानता राशि भागीदारी राशि ई–निविदा बिजनेस रूल्स आदि की जानकारी ई–नीलामी वेबसाईट SPPP Portal, **www.jaipurmc.org** एवं **http://smartrajapp.urban.rajasthan.gov.in** में **(E-Auction)** पर देखी जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या/जानकारी हेतु श्री वैभव कुमार प्रोग्रामर से दुरभाष नं. 8764880056 पर सम्पर्क कर सकते है।

उपायुक्त (राजस्व–प्रथम)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर।
2. जनसम्पर्क अधिकारी को भेजकर लेख है कि एक राज्य स्तरीय एवं एक राष्ट्रीय स्तरीय दैनिक समाचार पत्रो (50 हजार से अधिक प्रतियों वाले) के आगामी अंक में विज्ञप्ति प्रकाशन करवाकर एक प्रति शाखा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।
3. सुरक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (राजस्व–प्रथम)
नगर निगम जयपुर

ठेका पशु हटवाडा, सूगली नदी, रामगढ़ रोड, जयपुर के ठेके की शर्ते वर्ष 2018–19

ग्राम चावण्ड का मण्ड (आमेर) के खसरा नं. 8197 से 8239 (खसरा नं. 8061/9255 व 8061/9256 को छोड़ते हुए) कुल किता 21 क्षेत्रफल 5.48 हैक्टर रामगढ़ रोड़, जयपुर में लगने वाले पशु हटवाड़े की वर्ष 2018–19 के लिए लाईसेन्स पर दिये जाने हेतु ई–ऑक्शन ठेके की शर्तें निम्नवत होंगीः–

1. ई–नीलामी के अंतिम 15 मिनट में कोई बोली आने पर ई–नीलामी समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी।

2. पशु हटवाड़े की लाईसेन्स अवधि ठेका स्वीकृति तिथि से अर्थात् अस्थाई लाईसेंस जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। लाईसेंस धारक द्वारा पशु हटवाड़ा प्रतिदिन लगाया जा सकेगा।

3. ई–ऑक्शन ठेके में प्राप्त बिड़ को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम, जयपुर को होगा।

4. ठेके में ई–ऑक्शन बिड़दाता को 10,00,000/– रूपये (अक्षरे दस लाख रूपये मात्र) बतौर अमानता राशि नगर निगम, जयपुर के पक्ष में ऑनलाईन जमा करानी होगी।

5. ई–ऑक्शन में उच्चबोलीदाता को नीलामी समाप्ति के अगले कार्य दिवस को उच्चतम क्लोज्ड बिड राशि की 1/4 राशि जरिये बैंकर्स चैक/डी.डी. 24 घण्टे में निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त निर्धारित समय में राशि जमा कराने में असफल रहने पर पूर्व में जमा अमानता राशि रूपये 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख रूपये मात्र) जब्त की जा सकेगी एवं गुणावगुण के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय उच्चतम बिड दाता की बिड पर क्रमशः विचार किया जा सकेगा। बिड दाताओं के क्रमशः असफल होने पर अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।

6. उच्चतम द्वितीय एवं तृतीय की अमानता राशि उच्चतम बिड दरों पर सहमति होने के पश्चात एवं स्वीकृत बिडदाता को अस्थाई लाईसेन्स जारी किये जाने के पश्चात लौटाई जावेगी शेष बिडदाताओं की अमानत राशि तुरन्त लौटा दी जावेगी। उच्चतम ई–ऑक्शन बिड़दाता की अमानता राशि निगम कोष में बतौर धरोहर लाईसेन्स अवधि की समाप्ति तक जमा रहेगी।

7. ई–ऑक्शन में उच्चतम बोली की 1/4 राशि बोली समाप्ति के 24 घण्टे में निगम कोष में जमा कराने के पश्चात् एवं सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अस्थाई अनुज्ञा–पत्र जारी किया जावेगा। ठेका अवधि अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय कारणों से दरें स्वीकृत नहीं होने की दशा में जमा 1/4 राशि निविदा दाता को लौटा दी जावेगी।

8. अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी होने की तिथि से 07 दिवस में लाईसेन्सधारी द्वारा नियमानुसार राशि के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

9. स्वीकृत उच्चतम ई–ऑक्शन राशि की शेष 3/4 राशि जमा समान द्विमासिक किश्तों में निगम कोष में जरिये बैकर्स चैक/डी.डी. करानी होगी। यह समयावधि अस्थाई अनुज्ञा–पत्र जारी करने वाले कलैण्डर माह को छोडकर अगले माह की प्रथम दिनांक से गिनी जावेगी।

10. 3/4 ठेका राशि जमा कराने में असफल रहने पर जमा अमानता राशि 10,00,000/– रूपये (अक्षरे दस लाख रूपये मात्र) तथा जमा उच्चतम स्वीकृत ई–ऑक्शन राशि की 1/4 राशि जब्त की जा सकेगी तथा अस्थाई अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि में 3/4 राशि जमा कराने पर शेष ठेका अवधि के लिए स्थाई अनुज्ञा–पत्र जारी किया जावेगा।

11. लाईसेन्सधारी हटवाड़े में निम्न दर से वसूली कर सकेगाः–

1. पशुओं को वाहन से उतारने व चढ़ाने हेतु पेडा/ठिया शुल्क प्रत्येक वाहन से 100/– रूपये की दर।
2. पशुओं के प्रवेश पर शुल्क गाय व बछडे पर 10/– रूपये व भैस, पाडा, पाडी पर 20/– रूपये प्रति जानवर।
3. पशुओं के क्रय कर रवन्ना शुल्क ऊँट–ऊँटनी, भैस, बैल, घोडा–घोडी व इनके बच्चे पर 200/– रूपये प्रति नग।
4. बकरा–बकरी, गधा–गधी, भेड, गाय आदि व इनके बच्चे इत्यादि पर 100/– रूपये प्रति नग।

उपरोक्त दर्शायी गई वसूली के अतिरिक्त लाईसेन्सधारी किसी थडी, टेन्ट आदि से किसी भी प्रकार का भूमि किराया, विद्युत, पानी का शुल्क नहीं ले सकेगा। लाईसेन्सधारी हटवाडा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कच्चा–पक्का स्थाई या अस्थाई निर्माण नही करायेगा।

12. ठेका अवधि में हटवाड़े की शुल्क वसूली की उपरोक्त निर्धारित दरों में राज्य सरकार/नगर निगम, जयपुर द्वारा वृद्धि की जाती है तो ठेकेदार को आनुपातिक रूप से बढ़ी हुई ठेका राशि का भुगतान करना होगा। यदि नगर निगम, जयपुर या राज्य सरकार द्वारा यह दरें घटाई जाती है तो ठेका राशि में आनुपातिक कमी की जावेगीं।

13. ठेकेदार को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले किसी भी प्रकार के कर/शुल्क का भुगतान ठेका राशि के अतिरिक्त करना होगा। यदि बिक्री कर या सर्विस टेक्स/जी. एस.टी. टैक्स या अन्य कोई कर देय होगा, तो इसके भुगतान की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ठेकेदार को आयकर विभाग द्वारा ठेका राशि पर संग्रहित की जाने वाली टी.सी.एस. की राशि प्रभावित दरों पर ठेका राशि के साथ ही जैसे–जैसे ठेके की राशि जमा होगी, उसी के अनुपात में टी.सी.एस. भी जमा करानी होगी।

14. पशु हटवाडा निगम द्वारा स्वीकृत निश्चित स्थान पर ही लगाया जा सकेगा। वर्तमान में पशु हटवाडा स्थान सूगली नदी, रामगढ़ रोड, (उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ते हुए) जयपुर पर ही है। किसी भी कारण से निगम यदि उचित समझेगा, तो स्थान परिवर्तन कर सकेगा। इस बाबत् सफल ई–ऑक्शन बोलीदाता को ऐतराज करने का अधिकार नही होगा।

15. ठेकेदार ठेके की अवधि में 1 मेला अपनी सुविधानुसार अपने खर्चे पर लगवा सकेगा, जो अधिकतम 07 दिन का होगा।

16. पशु हटवाड़े में एक बोरिंग पानी की सप्लाई हेतु बिजली की मोटर एक कमरा तथा बिजली की लाईन से कनेक्शन की सुविधा नगर निगम, जयपुर उपलब्ध करायेगा। पशु हटवाडे में पर्याप्त मात्रा में पानी, विद्युत, रोशनी आदि की सुविधा स्वयं लाईसेन्सधारी उपलब्ध करायेगा तथा उसे उपरोक्त व्यवस्था हेतु समस्त प्रकार के पानी, विद्युत आदि का खर्चा जमा करवाना होगा। पानी की मोटर खराब होने पर लाईसेन्सधारी को ठीक करवानी होगी। लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर समस्त खर्चे का बकाया नही प्रमाण–पत्र निगम से लेना होगा, तभी जमा धरोहर राशि लौटाई जायेगी। नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया सामान सही हालत में संभलवाना होगा।

17. पशुओं के गोबर खाद आदि की आय लाईसेन्सधारी की होगी, जो उसे स्वयं को ही एकत्र करनी होगी। लाईसेन्सधारी को पशुओं के गोबर को प्रति दिन उठवाने व निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर एकत्र करने की उचित व्यवस्था करनी होगी। हटवाडा क्षेत्र में गंदगी नही रहे एवं किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नही हो यह जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी।

18. पशु हटवाडे का प्रचार–प्रसार लाईसेन्सधारी को स्वयं के खर्चे पर करना होगा। वसूली की जाने वाली प्रत्येक राशि की रसीद पशु मालिको को देनी होगी, जो उसे स्वयं के खर्चे से मुद्रित करवानी होगी तथा इन्हें निगम से प्रमाणित करवाना होगा।

19. लाईसेन्सधारी को पशु हटवाडा क्षेत्र में पशु हटवाडे के स्थान पर सार्वजनिक सूचना के बोर्ड 4'x6' साईज के प्रत्येक नाके एवं निर्धारित रवन्ना स्थल सहज दृश्य स्थल पर स्वयं को लगाने होंगे, जिस पर लाईसेन्सधारी फर्म का नाम वसूल की जाने वाली राशि (फीस) आदि की दर दर्शायी जावेगी।

20. लाईसेन्सधारी पर कोई राशि बकाया रहने की स्थिति में नगर निगम को यह अधिकार होगा, कि वह बकाया रकम लाईसेन्सधारी की अमानता राशि से एवं उसकी चल–अचल सम्पति तक पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट अथवा लैण्ड रेवन्यु एक्ट के तहत वसूल करें। यह राशि निगम के पास उपलब्ध अन्य राशि से भी की जा सकेगी।

21. हटवाडे के दौरान असामान्य घटना जैसे चोरी, आंधी , तूफान, बाढ़ आदि एवं किसी भी प्रकार की घटना से हुए किसी भी नुकसान के लिए नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

22. लाईसेन्सधारी को हटवाडे के संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार व निगम द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों का पालन करना होगा।

23. नगर निगम, जयपुर के आयुक्त/राजस्व अधिकारी एवं अधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी हटवाडा क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे एवं व्यावसायियों का निरीक्षण कर सकेंगे तथा गलत पाये जाने पर कार्यवाही कर सकेंगे।

24. लाईसेन्सधारी द्वारा हटवाडे का संचालन शर्तों के अनुसार न करने या अव्यवस्था पाये जाने पर लाईसेन्स निरस्त किया जा सकेगा एवं पुनः ई–ऑक्शन किया जा सकेगा।

25. ठेकेदार को निर्धारित दर से राशि वसूल करनी होगी। यदि ठेकेदार निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करता है, तो ठेकेदार द्वारा निम्न दण्ड राशि जमा करानी होगी अन्यथा अमानता राशि से निम्न प्रकार कटौती की जावेगीः–

प्रथम बार नोटिस पर– 50,000/–रूपये (अक्षरे पच्चास हजार रूपये)
द्वितीय बार नोटिस पर– 1,00,000/–रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये)
तृतीय गलती करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा तथा संवेदक द्वारा जमा करायी गई समस्त राशि (धरोहर+ठेका राशि) जप्त कर ली जावेगी।
उक्त राशि सुनवाई उपरांत दण्ड योग्य राशि का आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिया जावेगा जो अमानता/धरोहर राशि से वसूल की जावेगी।

26. ठेके की किसी भी शर्त की अनुपालना नहीं करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं जमाशुदा राशि जब्त की जा सकेगी तथा शुल्क की वसूली नगर निगम अपने स्तर पर करवा सकेगी। बिन्दु संख्या 24 के अनुसार आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

27. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त महोदय, नगर निगम, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) रहेगा।

28. लाईसेन्स अवधि को अनुज्ञा–पत्र धारी ठेका समाप्ति तिथि के 3 माह पूर्व आवेदन करने पर पारस्परिक सहमति से आगामी एक वर्ष के लिए वर्तमान में स्वीकृति ठेका राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि करके बढाई जा सकेगी। उक्त वृद्धि सहित देय समस्त राशि 1/4 राशि स्वीकृति के अगले कार्य दिवस दोपहर 2.00 बजे तक जमा करानी होगी एवं शेष 3/4 राशि तीन समान द्विमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। माह की गणना अवधि बढ़ाने के स्वीकृति आदेश जारी करने वाले कलेण्डर माह से अगले माह की प्रथम दिनांक से की जावेगी। अन्य लागू शर्ते पूर्ववत रहेगी। ठेका समाप्ति के 90 दिन पूर्व आवेदन प्राप्त नहीं होने पर नगर निगम जयपुर निविदा जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा।

29. देय किश्त समय पर जमा नहीं कराने पर समस्त बकाया राशियां ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अमानता/धरोहर राशि से वसूल कर ली जावेगी तथा बकाया समस्त राशि एक मुश्त जमा कराने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा अन्यथा ठेका निरस्त कर जमा राशियां जप्त कर ली जावेगी।

30. ठेका अवधि बढाने/नहीं बढाने के संबंध में नगर निगम, जयपुर का निर्णय ही अंतिम होगा तथा संवेदक के लिए बाध्यकारी होगा। इस बाबत् ठेकेदार अवधि समाप्ति से तीन माह पूर्व लिखित आवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही करवाऐगा।

31. ठेकेदार/फर्म/सांझेदार द्वारा निविदा दरे प्रस्तुत की जाती है, तो अधिकृत व्यक्ति का पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान–पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट आदि की सत्यापित संलग्न प्रति करना आवश्यक है।

32. निविदादाता के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।

उक्त शर्ते माननीय उच्च न्यायालय की सिविल रिटी पिटिशन नं. 11153/2011 सुओमोटो बनाम राज्य व अन्य तथा हाईपावर कमेटी के निर्णयों/निर्देशो के अध्यधीन रहेगी।

उपायुक्त (राजस्व–प्रथम)
नगर निगम, जयपुर